उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 28/2021/874/30-3-21-6बी/2018टीसी-।।
लखनऊ, दिनॉक 10 मार्च, 2021

<u>संशोधन/शुद्धि-पत्र</u>

उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-बरेली में ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) के निर्माणाधीन परियोजना हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 232.00 लाख के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में शाासनादेश संख्या-16/2021/600 /30-3-21-6बी/2018टीसी-।।, दिनांक 05 मार्च 2021 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-2 में "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के स्थान पर "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अत: शाासनादेश दिनांक 05 मार्च 2021 के प्रस्तर-2 में "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के स्थान पर **"लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" पढ़ा जाय।**

2- उक्त शासनादेश दिनांक 05 मार्च 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-28/2021/874(1)/30-3-2021, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी- बरेली।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in